विधानसभा आवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 26(वि.स./सामान्य)स्था/निकाशि/2019/80 दिनांकः 11 फरवरी, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तुरन्त भेजने बाबत।
संदर्भः विभाग का पत्रांक एफ 26(वि.स./सामान्य)स्था/निकाशि/2019/39 दिनांक 02.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि लेख है कि 15वीं विधानसभा का षष्टम सत्र दिनांक 10 फरवरी 2021 से प्रारम्भ हो गया है। सत्र में सचिवालय स्तर से विधानसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आयुक्तालय को प्राप्त होते है, जिनका उत्तर राज्य सरकार को समय पर भिजवाया जाना आवश्यक है। यह देखने में आया है कि जब महाविद्यालयों से विधानसभा से संबंधित सूचना मांगी जाती है तो महाविद्यालयों से सूचना समय पर प्राप्त नहीं होती है। इसके अभाव में विधानसभा प्रश्न का उत्तर तैयार करने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। विभागीय वेबसाईट के द्वारा चाही गयी सूचना महाविद्यालयों द्वारा समय पर प्रेषित नहीं की जाती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है आप विभागीय वेबसाईट को समय–समय पर अवलोकन कर चाही गयी सूचना यथा समय भिजवाने का श्रम करें।

साथ ही संदर्भित पत्र में उल्लेखित स्प्रेडशीट "VIDHANSABHA-2021" पर कुछ महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा सूचना आदिनांक तक नहीं भरी है। अतः सूचना अविलम्ब भरें एवं आपके महाविद्यालय में प्राचार्य का स्थानान्तरण या प्राचार्य के कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करते ही स्प्रैडशीट पर सूचना अविलम्ब अद्यतन करने का श्रम करें। स्प्रेडशीट "VIDHANSABHA-2021" को दिनांक 12.02.2021 को सांय 5.00 बजे तक अद्यतन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल गोयल)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांकः एफ 26(वि.स./सामान्य)स्था/निकाशि/2019/80 दिनांकः 11 फरवरी, 2021

प्रतिलिपिः वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कृपया आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(डॉ. ताराचंद बैरवा)
प्रभारी विधानसभा